



भारत सरकार

कार्यालय: नियंत्रक संचार लेखा, उ०प्र० (प०) परिमण्डल,
ब्रह्मपुरी दूरसंचार भवन, दिल्ली रोड, मेरठ-250002

पेंशन अदालत

दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लि०, उ०प्र० (पश्चिम), मेरठ के समस्त सम्मानित पेंशन धारकों/अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पारिवारिक पेंशन धारको इत्यादि को सूचित किया जाता है कि वे अपने पेंशन सम्बन्धित समस्त प्रकार के विवादित/विलम्बित मामले जो कि पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन कम्प्यूटेशन, रेस्टोरेशन, सामान्य भविष्य निधि और पेंशन रिवीजन इत्यादि से सम्बन्धित है के बारे में पूर्ण विवरण के साथ श्री रवि प्रकाश यादव (उपनियंत्रक) को सम्बोधित कर डाक के माध्यम से 04/06/2018 तक प्रेषित करें। अपने आवेदन पत्र में पेंशन अदालत अवश्य लिखें। इस अदालत में दिनांक 28/02/2018 तक के विवादित पेंशन सम्बन्धित मामलो पर ही विचार या निर्णय किया जायेगा।

अदालत का आयोजन दिनांक 13/06/2018 को मुरादाबाद के पेंशनरों के लिए और 14/06/2018 को अमरोहा और रामपुर के पेंशनरों के लिये समय 10:30 बजे से 3 बजे तक कार्यालय महाप्रबन्धक, भा०सं०नि०लि०, मुरादाबाद जिला मुरादाबाद में किया जायेगा। आमंत्रित पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी अपने-अपने मामलो के समाधान हेतु निजी व्यय पर इसमें भाग ले सकेंगे।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :-

1. Toll Free No.: 1800-180-3099
2. Phone : 0121-2403637
3. Fax : 0121-2404600
4. Website : www.ccaupwest.gov.in

प्रतिहस्ताक्षरित
उप नियंत्रक संचार लेखा,
उ०प्र० (पश्चिम)
दूरसंचार परिमण्डल, मेरठ